

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) जशपुर, जिला-जशपुर (छ.ग.)
क्रमांक / 542 / वाचक / 2026 जशपुर, दिनांक 07/05/2026

प्रति,

रा.प्र.क्र. / अ-62 / 2025-26
ग्राम जशपुर प.ह.नं. 07 तहसील-जशपुर

1. वन परिक्षेत्राधिकारी,
जशपुरनगर
2. राजस्व निरीक्षक,
रा.नि.मं.-आरा तहसील जशपुर

विषय :- Construction of 4-lane Pathalgaon-Kunkuri-CG/JH Border Section of NH-43 starting from end point Of NH-130A design Ch. 00+000 to Ch. 104+250 (From Turua Ama Village to Putrichoura village) as part of Raipur-Dhanbad Economic Corridor under Bharatmala Pariyojna (Lot5/Pkg-7) in the State of Chhattisgarh (Total Length-104.25 Km) परियोजना में प्रभावित वृक्षों के विदोहन की अनुमति प्रदान करने के संबंध में।

संदर्भ :- परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, प.का.ई. कोरबा (छ.ग.) का पत्र क्र. 25012/4/प.का.ई.-कोरबा/ वाल्यू-1/2024/5317 दिनांक 03/12/2024

—:00:—

उपरोक्त विषयांतर्गत सूचनाकर्ता/आवेदक परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, प.का.ई. कोरबा (छ.ग.) ने अपने पत्र क्रमांक 25012/4/प.का.ई.-कोरबा/ वाल्यू-1/2024/5317 दिनांक 03/12/2024 द्वारा उपरोक्त परियोजना के तहत ग्राम पोरतेंगा स्थित 86 नग विभिन्न प्रजाति के वृक्षों के विदोहन हेतु अनुमति प्रदान करने हेतु लेख किया गया है।

अतः उक्ताशय के संबंध में संयुक्त जांच कर प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र प्ररूप-घ में तीन दिवस के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
जशपुर, जिला-जशपुर (छ.ग.)

पंचनामा

स्थान - पोरवेंगा

दिनांक - 10/05/2026

व्यायाम्य अनुविभागीय अधिकारी (रा) जशपुर, जिन्ना-जशपुर (द्वारा)
 फा क्रमांक 1525/वापड/2026 जशपुर दिनांक 07/05/2026 के अनुसार सूचना द्वारा
 आवेदक परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग फा 68 ई. ठेकरा (द्वारा) ने
 अपने फा क्रमांक 25012/4/फा 68 ई. ठेकरा/वापडू-1/2024/5317 दिनांक 03/12/2024
 द्वारा उपरोक्त परियोजना के तहत ग्राम पोरवेंगा स्थित विभिन्न प्रजातियों के पृष्ठों
 के विरोध हेतु अनुमति के संबंध में व्यंजुक्त जांच हेतु ज्ञापन प्राप्त हुआ-
 है। जिसके संबंध में दिनांक 10/05/2026 को वाजल निरीक्षण द्वारा व्यं
 वनविभाग के द्वारा व्यंजुक्त रूप से प्रभावित क्षेत्रों व्यं ग्रामवासियों की उपस्थिति
 में स्थल जांच किया गया जो कि निम्नानुसार है:-

क्रमांक	खण्ड	शुद्धि स्वामी का नाम	पृष्ठ की प्रजाति	पृष्ठ की संख्या	पृष्ठ की गोलाई (मैट्री)	पृष्ठ की अनुमानित ऊंचाई (मीटर में)
1	128	जयंती कुंवर, शक्ति प्रभाषा फि इमिल कोरह	ऊटवल	1	40	12
			शीशम	1	40	10
			बांस झुंड	1		
2	129	मनोज, मधु मुक्ता फि इव- दह, दोमरिठ फि जोसेठ कोरह	डाग	3	40	10
			लिपी	1	30	8
			इमली	6	50	10
			सागौन	2	60	10
			शीशम	1	40	10
			कुसुम	1	40	10
			फुटवल	1	40	10
			ऊंरज	2	40	8
3	131	राजकुमार फि मोहन को	फुटवल	2	40	10
4	134	विठोर फि जोहन, पुलिगर फि जुगुष, फुविगुष, रश्मेर, छिदलिठ, इरविग पिल अवध कोरह	डाग	3	40	10
			वेर	1	30	8
			ऊंरज	1	40	8
			आम	2	30	5
	189					

6.	146	अरुणा, सुबोध, छिओर पिता अल्बोस कोरह	आम्र	2	150	12
			इमली	2	40	10
			उटहल	1	40	10
			लीची	1	30	8
7.	148	हेमन्त, जतरी फिलदाग कोरह	आम्र	2	60	15
			चार	6	40	15
			खाल	6	100	15
7.	351	विष्णु, विदुआ पिा भिष्णु	गुहार	1	70	10
			ऊरज	2	90	10
8.	352/1	सहदेव, सुखदेव, चागजीत, फुलेवार पिा भोंडा	आम्र	2	60	12
			इमली	1	50	10
			ऊरज	1	40	8
9.	188/1	शालेश, 00 अमरकुस, रोवान पिा नजारियुस	इमली	2	60	10
			उटहल	1	40	10
10.	187	फुलशेष, कांता, विनोड पिता इसडोर कोरह	उटहल	1	60	10
			आम्र	12	40	8
			लीची	5	40	8
			इमली	1	60	12
			नारियल	2	50	16
			बागौन	5	40	12
			निंबू	2	30	5


उपस्थित जवाहः-

सुबोध राम
लाजीलाल
प्रभात मिश्र
बालंत राम

अमरकुस
कोरह


पं. अमरकुस


PCN 17
10/05/2026


B.F.O.
Gardes

उपस्थित के हस्ताक्षर

सुबोध राम
फुलेवार सुबोध
अंजित सुबोध
दोमनिक उर


विदुआ राम
फुलशेष मिश्र
शालेश मिश्र
नजारियुस
हम-राम

प्रारूप-घ
(नियम 7(1) देखिए)
निरीक्षण प्रतिवेदन

प्रति,

श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

अनुविभाग-जशपुर, जिला-जशपुर(छ.ग.)

बिषय:- वृक्ष कटाई के संबंध में स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बावत्।

संदर्भ:- आपके न्यायालय का ज्ञापन क्रमांक/525/वाचक/2026 जशपुर दिनांक 07.05.2026।

संदर्भित आदेश का अनुपालन में संयुक्त स्थल निरीक्षण दिनांक 10.05.2026 को किया गया। स्थल निरीक्षण के दौरान साक्षी के रूप में निम्नलिखित उपस्थित रहे:-

(क) आवेदक एवं उसके नातेदार:-जयंती कुंवर, शांति प्रकाश

(ख) सरपंच/पंच:-प्रेमा खलखो

(ग) पटवारी/कोटवार:-संदीप भगत

(घ) स्वतंत्र स्थानीय साक्षी:-सुबास राम, बोनीफास, प्रभात, बसंत

तहसील कार्यालय में हुए पंजीयन पंजी एवं राजस्व अभिलेख(बी-1/खसरा)के अवलोकन

के आधार पर खसरे में स्थित वृक्षों का विवरण निम्नानुसार है:-

(क) खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों की प्रजाति और संख्या-03

(ख) खसरे पर रोपित वृक्षों की प्रजाति और संख्या-00

(ग) पूर्व में इस खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों को काटने की अनुमति दिनांक.....

नहींदी गयी थी।

स्थल निरीक्षण से ज्ञात होता है कि-


(क) खसरे के शुष्क वृक्षों की प्रजाति और संख्या-00

(ख) खसरे के परिपक्व वृक्षों की प्रजाति संख्या-03

(ग) कृषि/व्यवसाय के हित में कटाई हेतु जरूरी वृक्षों की प्रजाति और संख्या-03

(घ) नियम 2 की लागू कंडिका कोई हो.....

(ड.) अन्य विवरण-उपरोक्त



राजस्व निरीक्षक
आरा जिला जशपुर
(छ.ग.)

वन परिक्षेत्र अधिकारी
जशपुर जिला-जशपुर
(छ.ग.)

प्रारूप-घ
(नियम 7(1) देखिए)
निरीक्षण प्रतिवेदन

प्रति,

श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
अनुविभाग-जशपुर, जिला-जशपुर(छ.ग.)

बिषय:- वृक्ष कटाई के संबंध में स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बावत्।

संदर्भ:- आपके न्यायालय का ज्ञापन क्रमांक/525/वाचक/2026 जशपुर दिनांक 07.05.2026।

संदर्भित आदेश का अनुपालन में संयुक्त स्थल निरीक्षण दिनांक 10.05.2026 को किया गया। स्थल निरीक्षण के दौरान साक्षी के रूप में निम्नलिखित उपस्थित रहे:-

(क) आवेदक एवं उसके नातेदार:-मनोज, मधु, मुक्ता, दोमनिक

(ख) सरपंच/पंच:-प्रेमा खलखो

(ग) पटवारी/कोटवार:-संदीप भगत

(घ) स्वतंत्र स्थानीय साक्षी:- सुबास राम, बोनीफास, प्रभात, बसंत

तहसील कार्यालय में हुए पंजीयन पंजी एवं राजस्व अभिलेख(बी-1/खसरा)के अवलोकन के आधार पर खसरे में स्थित वृक्षों का विवरण निम्नानुसार है:-

(क) खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों की प्रजाति और संख्या-17

(ख) खसरे पर रोपित वृक्षों की प्रजाति और संख्या-00

(ग) पूर्व में इस खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों को काटने की अनुमति दिनांक.....
नहींदी गयी थी।

स्थल निरीक्षण से ज्ञात होता है कि-


(क) खसरे के शुष्क वृक्षों की प्रजाति और संख्या-00


(ख) खसरे के परिपक्व वृक्षों की प्रजाति संख्या-17

(ग) कृषि/व्यवसाय के हित में कटाई हेतु जरूरी वृक्षों की प्रजाति और संख्या-17

(घ) नियम 2 की लागू कंडिका कोई हो.....

(ड.) अन्य विवरण-उपरोक्त


राजस्व निरीक्षक
आरा जिला जशपुर
(छ.ग.)


वन परिक्षेत्र अधिकारी
जशपुर जिला-जशपुर
(छ.ग.)

प्रारूप-घ
(नियम 7(1) देखिए)
निरीक्षण प्रतिवेदन

प्रति,

श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

अनुविभाग-जशपुर, जिला-जशपुर(छ.ग.)

बिषय:- वृक्ष कटाई के संबंध में स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बावत्।

संदर्भ:- आपके न्यायालय का ज्ञापन क्रमांक/525/वाचक/2026 जशपुर दिनांक 07.05.2026।

संदर्भित आदेश का अनुपालन में संयुक्त स्थल निरीक्षण दिनांक 10.05.2026 को किया गया। स्थल निरीक्षण के दौरान साक्षी के रूप में निम्नलिखित उपस्थित रहे:-

(क) आवेदक एवं उसके नातेदार:-राजकुमार

(ख) सरपंच/पंच:-प्रेमा खलखो

(ग) पटवारी/कोटवार:-संदीप भगत

(घ) स्वतंत्र स्थानीय साक्षी:- सुबास राम, बोनीफास, प्रभात, बसंत

तहसील कार्यालय में हुए पंजीयन पंजी एवं राजस्व अभिलेख(बी-1/खसरा)के अवलोकन के आधार पर खसरे में स्थित वृक्षों का विवरण निम्नानुसार है:-

(क) खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों की प्रजाति और संख्या-02

(ख) खसरे पर रोपित वृक्षों की प्रजाति और संख्या-00

(ग) पूर्व में इस खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों को काटने की अनुमति दिनांक.....
नहींदी गयी थी।

स्थल निरीक्षण से ज्ञात होता है कि-

(क) खसरे के शुष्क वृक्षों की प्रजाति और संख्या-00

(ख) खसरे के परिपक्व वृक्षों की प्रजाति संख्या-02

(ग) कृषि/व्यवसाय के हित में कटाई हेतु जरूरी वृक्षों की प्रजाति और संख्या-02

(घ) नियम 2 की लागू कंडिका कोई हो.....

(ड.) अन्य विवरण-उपरोक्त

राजस्व निरीक्षक
आरा जिला जशपुर
(छ.ग.)

वन परिक्षेत्र अधिकारी
जशपुर जिला-जशपुर
(छ.ग.)

प्रारूप-घ
(नियम 7(1) देखिए)
निरीक्षण प्रतिवेदन

प्रति,

श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

अनुविभाग-जशपुर, जिला-जशपुर(छ.ग.)

बिषय:- वृक्ष कटाई के संबंध में स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बावत्।

संदर्भ:- आपके न्यायालय का ज्ञापन क्रमांक/525/वाचक/2026 जशपुर दिनांक 07.05.2026।

संदर्भित आदेश का अनुपालन में संयुक्त स्थल निरीक्षण दिनांक 10.05.2026 को किया गया। स्थल निरीक्षण के दौरान साक्षी के रूप में निम्नलिखित उपस्थित रहे:-

(क) आवेदक एवं उसके नातेदार:-फबियानुस, फिदलिक, इरविन

(ख) सरपंच/पंच:-प्रेमा खलखो

(ग) पटवारी/कोटवार:-संदीप भगत

(घ) स्वतंत्र स्थानीय साक्षी:- सुबास राम, बोनीफास, प्रभात, बसंत

तहसील कार्यालय में हुए पंजीयन पंजी एवं राजस्व अभिलेख(बी-1/खसरा)के अवलोकन के आधार पर खसरे में स्थित वृक्षों का विवरण निम्नानुसार है:-

(क) खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों की प्रजाति और संख्या-07

(ख) खसरे पर रोपित वृक्षों की प्रजाति और संख्या-00

(ग) पूर्व में इस खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों को काटने की अनुमति दिनांक.....
नहींदी गयी थी।

स्थल निरीक्षण से ज्ञात होता है कि-


(क) खसरे के शुष्क वृक्षों की प्रजाति और संख्या-00


(ख) खसरे के परिपक्व वृक्षों की प्रजाति संख्या-07

(ग) कृषि/व्यवसाय के हित में कटाई हेतु जरूरी वृक्षों की प्रजाति और संख्या-07

(घ) नियम 2 की लागू कंडिका कोई हो.....

(ड.) अन्य विवरण-उपरोक्त


राजस्व निरीक्षक
आरा जिला जशपुर
(छ.ग.)


वन परिक्षेत्र अधिकारी
जशपुर जिला-जशपुर
(छ.ग.)

प्रारूप-घ
(नियम 7(1) देखिए)
निरीक्षण प्रतिवेदन

प्रति.

श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
अनुविभाग-जशपुर, जिला-जशपुर(छ.ग.)

बिषय:- वृक्ष कटाई के संबंध में स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बावत्।

संदर्भ:- आपके न्यायालय का ज्ञापन क्रमांक/525/वाचक/2026 जशपुर दिनांक 07.05.2026।

संदर्भित आदेश का अनुपालन में संयुक्त स्थल निरीक्षण दिनांक 10.05.2026 को किया गया। स्थल निरीक्षण के दौरान साक्षी के रूप में निम्नलिखित उपस्थित रहे:-

(क) आवेदक एवं उसके नातेदार:-अरुण, किशोर, सुबोध

(ख) सरपंच/पंच:-प्रेमा खलखो

(ग) पटवारी/कोटवार:-संदीप भगत

(घ) स्वतंत्र स्थानीय साक्षी:- सुबास राम, बोनीफास, प्रभात, बसंत

तहसील कार्यालय में हुए पंजीयन पंजी एवं राजस्व अभिलेख(बी-1/खसरा)के अवलोकन के आधार पर खसरे में स्थित वृक्षों का विवरण निम्नानुसार है:-

(क) खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों की प्रजाति और संख्या=06

(ख) खसरे पर रोपित वृक्षों की प्रजाति और संख्या=00

(ग) पूर्व में इस खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों को काटने की अनुमति दिनांक.....
नहींदी गयी थी।

स्थल निरीक्षण से ज्ञात होता है कि-


(क) खसरे के शुष्क वृक्षों की प्रजाति और संख्या=00


(ख) खसरे के परिपक्व वृक्षों की प्रजाति संख्या=06

(ग) कृषि/व्यवसाय के हित में कटाई हेतु जरूरी वृक्षों की प्रजाति और संख्या=06

(घ) नियम 2 की लागू कंडिका कोई हो.....

(ड.) अन्य विवरण-उपरोक्त


राजस्व निरीक्षक
आरा जिला जशपुर
(छ.ग.)


वन परिक्षेत्र अधिकारी
जशपुर जिला-जशपुर
(छ.ग.)

प्रारूप-घ
(नियम 7(1) देखिए)
निरीक्षण प्रतिवेदन

प्रति.

श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
अनुविभाग-जशपुर, जिला-जशपुर(छ.ग.)

बिषय:- वृक्ष कटाई के संबंध में स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बावत्।
संदर्भ:- आपके न्यायालय का ज्ञापन क्रमांक / 525 / वाचक / 2026 जशपुर दिनांक 07.05.2026।

संदर्भित आदेश का अनुपालन में संयुक्त स्थल निरीक्षण दिनांक 10.05.2026 को किया गया। स्थल निरीक्षण के दौरान साक्षी के रूप में निम्नलिखित उपस्थित रहे:-

(क) आवेदक एवं उसके नातेदार:- बिरसु, बिछवा

(ख) सरपंच / पंच:- प्रेमा खलखो

(ग) पटवारी / कोटवार:- संदीप भगत

(घ) स्वतंत्र स्थानीय साक्षी:- सुबास राम, बोनीफास, प्रभात, बसंत

तहसील कार्यालय में हुए पंजीयन पंजी एवं राजस्व अभिलेख(बी-1 / खसरा)के अवलोकन के आधार पर खसरे में स्थित वृक्षों का विवरण निम्नानुसार है:-

(क) खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों की प्रजाति और संख्या-03

(ख) खसरे पर रोपित वृक्षों की प्रजाति और संख्या-00

(ग) पूर्व में इस खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों को काटने की अनुमति दिनांक.....
नहीं दी गयी थी।

स्थल निरीक्षण से ज्ञात होता है कि-


(क) खसरे के शुष्क वृक्षों की प्रजाति और संख्या-00


(ख) खसरे के परिपक्व वृक्षों की प्रजाति संख्या-03

(ग) कृषि / व्यवसाय के हित में कटाई हेतु जरूरी वृक्षों की प्रजाति और संख्या-03

(घ) नियम 2 की लागू कंडिका कोई हो.....

(ड.) अन्य विवरण-उपरोक्त


राजस्व निरीक्षक
आरा जिला जशपुर
(छ.ग.)


वन परिक्षेत्र अधिकारी
जशपुर जिला-जशपुर
(छ.ग.)

प्रारूप-घ
(नियम 7(1) देखिए)
निरीक्षण प्रतिवेदन

प्रति.

श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

अनुविभाग-जशपुर, जिला-जशपुर(छ.ग.)

विषय:- वृक्ष कटाई के संबंध में स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बावत्।

संदर्भ:- आपके न्यायालय का ज्ञापन क्रमांक/525/वाचक/2026 जशपुर दिनांक 07.05.2026।

संदर्भित आदेश का अनुपालन में संयुक्त स्थल निरीक्षण दिनांक 10.05.2026 को किया गया। स्थल निरीक्षण के दौरान साक्षी के रूप में निम्नलिखित उपस्थित रहे:-

(क) आवेदक एवं उसके नातेदार:-सहदेव, सुखदेव, रामजीत

(ख) सरपंच/पंच:-प्रेमा खलखो

(ग) पटवारी/कोटवार:-संदीप भगत

(घ) स्वतंत्र स्थानीय साक्षी:- सुबास राम, बोनीफास, प्रभात, बसंत

तहसील कार्यालय में हुए पंजीयन पंजी एवं राजस्व अभिलेख(बी-1/खसरा)के अवलोकन के आधार पर खसरे में स्थित वृक्षों का विवरण निम्नानुसार है:-

(क) खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों की प्रजाति और संख्या-04

(ख) खसरे पर रोपित वृक्षों की प्रजाति और संख्या-00

(ग) पूर्व में इस खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों को काटने की अनुमति दिनांक.....
नहींदी गयी थी।

स्थल निरीक्षण से ज्ञात होता है कि-


(क) खसरे के शुष्क वृक्षों की प्रजाति और संख्या-00


(ख) खसरे के परिपक्व वृक्षों की प्रजाति संख्या-04

(ग) कृषि/व्यवसाय के हित में कटाई हेतु जरूरी वृक्षों की प्रजाति और संख्या-04

(घ) नियम 2 की लागू कंडिका कोई हो.....

(ड.) अन्य विवरण-उपरोक्त


राजस्व निरीक्षक
आरा जिला जशपुर
(छ.ग.)


वन परिक्षेत्र अधिकारी
जशपुर जिला-जशपुर
(छ.ग.)

प्रारूप-घ
(नियम 7(1) देखिए)
निरीक्षण प्रतिवेदन

प्रति,

श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
अनुविभाग-जशपुर, जिला-जशपुर(छ.ग.)

बिषय:- वृक्ष कटाई के संबंध में स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बावत्।

संदर्भ:- आपके न्यायालय का ज्ञापन क्रमांक/525/वाचक/2026 जशपुर दिनांक 07.05.2026।

संदर्भित आदेश का अनुपालन में संयुक्त स्थल निरीक्षण दिनांक 10.05.2026 को किया गया। स्थल निरीक्षण के दौरान साक्षी के रूप में निम्नलिखित उपस्थित रहे:-

(क) आवेदक एवं उसके नातेदार:-शालेश, रोशन

(ख) सरपंच/पंच:-प्रेमा खलखो

(ग) पटवारी/कोटवार:-संदीप भगत

(घ) स्वतंत्र स्थानीय साक्षी:- सुबास राम, बोनीफास, प्रभात, बसंत

तहसील कार्यालय में हुए पंजीयन पंजी एवं राजस्व अभिलेख(बी-1/खसरा)के अवलोकन के आधार पर खसरे में स्थित वृक्षों का विवरण निम्नानुसार है:-

(क) खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों की प्रजाति और संख्या-03

(ख) खसरे पर रोपित वृक्षों की प्रजाति और संख्या-00

(ग) पूर्व में इस खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों को काटने की अनुमति दिनांक.....
नहीं दी गयी थी।

स्थल निरीक्षण से ज्ञात होता है कि-


(क) खसरे के शुष्क वृक्षों की प्रजाति और संख्या-00

(ख) खसरे के परिपक्व वृक्षों की प्रजाति संख्या-03


(ग) कृषि/व्यवसाय के हित में कटाई हेतु जरूरी वृक्षों की प्रजाति और संख्या-03

(घ) नियम 2 की लागू कंडिका कोई हो.....

(ड.) अन्य विवरण-उपरोक्त



राजस्व निरीक्षक
आरा जिला जशपुर
(छ.ग.)



वन परिक्षेत्र अधिकारी
जशपुर जिला-जशपुर
(छ.ग.)

प्रारूप-घ
(नियम 7(1) देखिए)
निरीक्षण प्रतिवेदन

प्रति,

श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

अनुविभाग-जशपुर, जिला-जशपुर(छ.ग.)

बिषय:- वृक्ष कटाई के संबंध में स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बावत्।

संदर्भ:- आपके न्यायालय का ज्ञापन क्रमांक/525/वाचक/2026 जशपुर दिनांक 07.05.2026।

संदर्भित आदेश का अनुपालन में संयुक्त स्थल निरीक्षण दिनांक 10.05.2026 को किया गया। स्थल निरीक्षण के दौरान साक्षी के रूप में निम्नलिखित उपस्थित रहे:-

(क) आवेदक एवं उसके नातेदार:-कुलदीप, कांता, विनोद

(ख) सरपंच/पंच:-प्रेमा खलखो

(ग) पटवारी/कोटवार:-संदीप भगत

(घ) स्वतंत्र स्थानीय साक्षी:- सुबास राम, बोनीफास, प्रभात, बसंत

तहसील कार्यालय में हुए पंजीयन पंजी एवं राजस्व अभिलेख(बी-1/खसरा)के अवलोकन के आधार पर खसरे में स्थित वृक्षों का विवरण निम्नानुसार है:-

(क) खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों की प्रजाति और संख्या-28

(ख) खसरे पर रोपित वृक्षों की प्रजाति और संख्या-00

(ग) पूर्व में इस खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों को काटने की अनुमति दिनांक.....
नहींदी गयी थी।

स्थल निरीक्षण से ज्ञात होता है कि-


(क) खसरे के शुष्क वृक्षों की प्रजाति और संख्या-00

(ख) खसरे के परिपक्व वृक्षों की प्रजाति संख्या-28

(ग) कृषि/व्यवसाय के हित में कटाई हेतु जरूरी वृक्षों की प्रजाति और संख्या-28

(घ) नियम 2 की लागू कंडिका कोई हो.....

(ड.) अन्य विवरण-उपरोक्त



राजस्व निरीक्षक

आरा जिला जशपुर

(छ.ग.)

वन परिक्षेत्र अधिकारी
जशपुर जिला-जशपुर
(छ.ग.)